<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>दीवानी विविध प्रकरण संख्या 106/2025</u>

रमेशनाथ पुत्र श्री महेन्द्रनाथ, निवासी वार्ड संख्या 5, छोटी बस्ती, परिक्रमा मार्ग, पुष्कर, जिला अजमेर।

– प्रार्थी/वादी

बनाम

दीपक कुमार बंसल पुत्र श्री सत्यनारायण अग्रवाल, निवासी चटाई मौहल्ला, केसरगंज, अजमेर।

–अप्रार्थी/प्रतिवादी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 24 व्य.प्र.सं.

बाबत अन्तरित किये जाने दीवानी वाद

उपस्थित

1– श्री एस.एन.देवड़ा, अधिवक्ता, प्रार्थी–वादी की ओर से।

2– श्री चन्द्रप्रकाश, अधिवक्ता, अप्रार्थी–प्रतिवादी की ओर से।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक–15.11.2025</u>**

1. प्रार्थी–वादी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 15.07.2025 को न्यायालय हाजा में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, पुष्कर, जिला अजमेर में लम्बित दीवानी वाद संख्य 20/2011 रमेशनाथ बनाम दीपक कुमार को अजमेर स्थित किसी भी सक्षम न्यायालय में अन्तरित कराने हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त वाद पूर्व में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 2, अजमेर के न्यायालय में लम्बित था, जिसे प्रशासनिक आदेश से वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, पुष्कर, जिला अजमेर के न्यायालय में अन्तरित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 31.05.2025 को हुई । उक्त वाद अचल सम्पत्ति का नहीं होकर धन संबंधी विवाद से संबंधित है। दोनों पक्षकारान के बीच अजमेर में निष्पादित इकरारनामा दिनांक 24.02.2020 में वर्णित बकाया राशि 1,63,000/–रूपये की वसूली बाबत है। अतः उक्त वाद को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, पुष्कर, जिला अजमेर के न्यायालय से अजमेर मुख्यालय स्थित किसी भी सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने का निवेदन किया गया।

2. अप्रार्थी–प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना–पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं कर, मौखिक बहस का निवेदन किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–वादी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए, निवेदन किया कि हस्तगत वाद पूर्व में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या–2, अजमेर के न्यायालय में लम्बित था, जो प्रशासनिक आदेश से वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, पुष्कर के न्यायालय में अन्तरित किया गया है। अतः हस्तगत वाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, पुष्कर, जिला अजमेर के न्यायालय से अजमेर स्थित किसी भी सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने का निवेदन किया। दौराने सुनवाई विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी–प्रतिवादी ने भी उक्त वाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, पुष्कर, जिला अजमेर से अजमेर मुख्यालय स्थित किसी भी सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने में अनापत्ति प्रकट की। ऐसे में न्याय हित में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, पुष्कर, जिला अजमेर में लम्बित दीवानी वाद संख्या 20/2011 रमेशनाथ बनाम दीपक कुमार को न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या–2, अजमेर में विधिवत सुनवाई व निस्तारण हेतु अन्तरित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

5. अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, पुष्कर, जिला अजमेर में लम्बित दीवानी वाद संख्या 20/2011 रमेशनाथ बनाम दीपक कुमार को न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या–2, अजमेर में विधिवत् सुनवाई व निस्तारण हेतु अन्तरित किया जाता है।

आदेश की एक–एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को भिजवाई जावे।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

6. आदेश आज दिनांक 15.11.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर